

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./43/2008/ 105

भोपाल, दिनांक 6/9/08

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती रेखा राठौर अध्यापक शा. मावि धामनिया, जिला-रतलाम	जिला पंचायत रतलाम जिला-रतलाम जा.क्र. 6604 दिनांक 28.07.08	नगर पालिक निगम, इन्दौर जिला-खण्डवा जा.क्र.878/जीए दिनांक 22.08.08 शा. हाईस्कूल किला मैदान
2	श्रीमती सुषमा गौर सहायक अध्यापक शा. क.प्रावि मण्डलेश्वर, जिला-खरगौन	नगर पंचायत मण्डलेश्वर जिला-खरगौन जा.क्र. 32, दिनांक 04.04.08	जनपद पंचायत छैगांवमाखन जिला-खण्डवा जा.क्र.18.84 दिनांक 19.06.08 शा. प्रावि छिरवेल/बडियाग्यासुर एवं आवल्याखारवा
3	श्रीमती माया जावरिया अध्यापक (विज्ञान) शा. मावि बंधी (स्टेशन), जिला-कटनी	जनपद पंचायत बहोरीबंद जिला-कटनी जा.क्र. 213, दिनांक 17.07.08	जनपद पंचायत उचेहरा जिला-सतना जा.क्र. निरंक दिनांक निरंक शा. मावि तिघरा उचेहरा
4	श्रीमती नन्दा शंभकर अध्यापक शा. मावि बोरखेड़ा, जिला-सीहोर	जिला पंचायत सीहोर जिला-सीहोर जा.क्र. 3078 दिनांक 02.06.08	जिला पंचायत रायसेन जिला-रायसेन जा.क्र. 4031 दिनांक 03.09.08 शा. उमावि दीवटिया
5	श्रीमती उर्मिला नापित अध्यापक शा. हाईस्कूल पहाड़ी, जिला-सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला-सीधी जा.क्र. 8629, दिनांक 02.8.08	जिला पंचायत रीवा जिला-रीवा जा.क्र. 2086 दिनांक 04.08.08 शा. बा.उमावि क्र.1 मऊगंज
6	श्रीमती सुगन्ती भगत सहायक अध्यापक शा. मावि सहदौरा, जिला-शिवपुरी	जनपद पंचायत नरवर जिला-शिवपुरी जा.क्र. 2247 दिनांक 29.08.08	जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर जा.क्र. 4278 दिनांक 02.09.08 शा. प्रावि मुगलपुरा

श्रीमती सुषमा राजौरिया अध्यापक शा. मावि मिर्जापुर, जिला-दमोह	जनपद पंचायत पथरिया जिला-दमोह जा.क्र. 608, दिनांक 04.07.08	जिला पंचायत सागर जिला-सागर जा.क्र. 31 दिनांक 22.8.08 शा. मावि जिन्दा
श्रीमती ताजवर वहाब अध्यापक शा. जामगोद, जिला-देवास	जनपद पंचायत सोनकच्छ जिला-देवास जा.क्र. 1485, दिनांक 01.09.08	जनपद पंचायत आष्टा जिला-सीहोर जा.क्र. 4618 दिनांक 04.09.08 शा. मावि झिलेला/हकीमपुर एवं शेकूखेड़ा
श्रीमती शाइस्ता अफशां अध्यापक शा. मावि शिवपुरा, जिला-राजगढ़	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला-राजगढ़ जा.क्र. 3626, दिनांक 25.08.08	जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन जा.क्र. 1550 दिनांक 27.08.08 शा. मावि हतियाखेड़ा, सिमरोदा एवं डामडोंगरी
श्रीमती सुलेखा नायक सहायक अध्यापक शा. प्रावि मुहारी, जिला-शिवपुरी	जनपद पंचायत खनियॉधाना जिला-शिवपुरी जा.क्र. 607, दिनांक 03.04.08	जनपद पंचायत छतरपुर जिला-छतरपुर जा.क्र. 1052, दिनांक 14.05.08 शा. प्रावि महाराजपुर
श्रीमती ऋतु गुमास्ता सहायक अध्यापक शा. प्रावि शाहपुर, जिला-नरसिंहपुर	जनपद पंचायत बाबई जिला-नरसिंहपुर जा.क्र. 149, दिनांक 11.08.08	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला-रायसेन जा.क्र. 674, दिनांक 07.08.08 शा. प्रावि बॉसखेड़ा
श्रीमती सुनीता शुक्ला सहायक अध्यापक शा. पूर्व मावि सहुआर जिला-सीधी (सिंगरौली)	जनपद पंचायत देवसर जिला-सीधी (सिंगरौली) जा.क्र. 1796 दिनांक 25.06.08	जनपद पंचायत सिरमौर जिला-रीवा जा.क्र. 1123 दिनांक 17.06.08 शा. मावि सेमरा
श्रीमती शैलजा शर्मा (दुबे) अध्यापक शा. मावि सिन्हाई, जिला-पन्ना	जनपद पंचायत अजयगढ़ जिला-पन्ना जा.क्र. 1119 दिनांक 24.07.08	जनपद पंचायत डॉ0 अम्बेडकर नगर (महु), जिला-इन्दौर जा.क्र. 1716 दिनांक 17.07.08 शा. उमावि गवली पलासिया
श्री मान खॉ बनारसी (विकलांग) सहायक अध्यापक शा. प्रावि चिकढ़ालिया, जिला-खण्डवा	जनपद पंचायत पुनासा जिला-खण्डवा जा.क्र. 830 दिनांक 12.08.08	जनपद पंचायत कन्नौद जिला-देवास जा.क्र.2005 दिनांक 23.08.08
कु. प्रतिभा शुक्ला अध्यापक शा. नवीन मावि इटौरी, जिला-पन्ना	जनपद पंचायत गुन्नौर जिला-पन्ना जा.क्र. 725 दिनांक 14.07.08	जनपद पंचायत राजनगर जिला-छतरपुर जा.क्र. 615, दिनांक 15.07.08 शा. मावि टिकुरी
श्रीमती कौशिल्या वर्मा सहायक अध्यापक शा. प्रावि मझियार, जिला-सतना	जनपद पंचायत सोहावल जिला-सतना जा.क्र. 854 दिनांक 07.08.08	नगर पालिक निगम, रीवा जिला-रीवा जा.क्र. 3664 दिनांक 11.08.08 शा. प्रावि सिकरमखामा
श्रीमती रचना कुशवाह सहायक अध्यापक शा. मावि चिरौली, जिला-भिण्ड	जनपद पंचायत लहार जिला-भिण्ड जा.क्र. 1551 दिनांक 21.07.08	जनपद पंचायत इन्दौर जिला-इन्दौर जा.क्र. 2976 दिनांक 06.08.08 शा. मावि मायाखेड़ी शा. मावि सेमलाचारु
श्रीमती सुकवरिया सिंह सहायक अध्यापक शा. प्रावि ताल, जिला-सीधी	जनपद पंचायत मझौली जिला-सीधी जा.क्र. 1784 दिनांक 18.08.08	जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला-शहडोल जा.क्र. 859 दिनांक 22.08.08 शा. प्रावि खाटखेटी, शा. प्रावि बोडिहा

19	श्रीमती विटेश कुमारी चतुर्वेदी सहायक अध्यापक शा. बा.प्रावि ममदर जिला-सीधी	जनपद पंचायत रामपुर नैकिन जिला-सीधी जा.क्र. 261 दिनांक 31.05.08	जनपद पंचायत रीवा जिला-रीवा जा.क्र. 187 दिनांक 03.06.08 शा. पूर्व मावि वैसा
20	श्रीमती सीता मिश्रा सहायक अध्यापक शा. मावि बौरी जिला-टीकमगढ़	जनपद पंचायत टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ जा.क्र. 1436 दिनांक 13.06.08	जनपद पंचायत फन्दा जिला-भोपाल जा.क्र. 1996 दिनांक 17.06.08 शा. प्रावि दीपड़ी

### संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील



में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।

11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


  
06.9.08  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6/9/08

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी /अध्या.संवर्ग/संवि./43/2008/ 106  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
7. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
9. सहायक आयुक्त/जिला संगठक, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश ।  
की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. संबंधित उपर्युक्त तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
06.9.08  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./18/2008/ 102

भोपाल, दिनांक 5/9/08

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर् जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती हेमलता परिहार अध्यापक शा. क.मावि आलोट जिला-रतलाम	जनपद पंचायत आलोट जिला-रतलाम जा.क्र. 823,दि.15.07.08	जिला पंचायत भोपाल जिला-भोपाल जा.क्र. 5010, दिनांक 03.09.08 शा. मावि धमर्रा तहसील बैरसिया

संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।

९


9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./18/2008/103  
प्रतिलिपि:-

  
०८.१.०८  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 5/9/08

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
  2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
  3. कलेक्टर, जिला-रतलाम एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।
  4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, रतलाम एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।
  5. जिला शिक्षा अधिकारी, रतलाम एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।
  6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आलोट, जिला-रतलाम मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. श्रीमती हेमलता परिहार,, अध्यापक, शा. क.मावि आलोट जिला-रतलाम मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

  
०८.१.०८  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए + डी /अजिनि संवि./27/2008/ 60

भोपाल, दिनांक 27/8/08


:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, दिष्यमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती लता मालवीय वरिष्ठ अध्यापक (अर्थशास्त्र) शा. उमावि शिवपुर जिला-रतलाम	जिला पंचायत रतलाम जिला-रतलाम जा.क्र. 5690, दिनांक 25.06.08	जिला पंचायत इन्दौर जिला-इन्दौर जा.क्र. 5556, दिनांक 09.07.08 शा. उमावि हांसलपुर

संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील

होगा ।  




6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षको की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


  
27/8/08  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27/8/08

पृष्ठा.क्र०/शि.क./ए + डी /अजिनि संवि./27/2008/ 61  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, ना. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. जिला कलेक्टर, रतलाम एवं इन्दौर मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, रतलाम एवं इन्दौर मध्यप्रदेश ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रतलाम एवं इन्दौर मध्यप्रदेश ।
6. श्रीमती लता मालवीय, वरिष्ठ अध्यापक (अर्थशास्त्र) शा. उमावि शिवपुर, जिला-रतलाम मध्यप्रदेश ।

  
27/8/08  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

